

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुझुनूं (राज०)पीठासीन अधिकारी : पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 127/2022

GCMS NO. 2022/337

सब्बीर खां पुत्र मोहम्मद अली खां जाति कायमखानी निवासी धनूरी तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।

- प्रार्थी

बनाम

1. एजाज नबी खां पुत्र आशिक अली खां जाति कायमखानी निवासी क्यामसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
2. नाजेरा खान पुत्री आशिक अली खां जाति कायमखानी निवासी क्यामसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
3. मो० साबिक पुत्र आशिक अली खां जाति कायमखानी निवासी क्यामसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
4. रियाजत आनो पुत्री आशिक अली खां जाति कायमखानी निवासी क्यामसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
5. सहनाज बानो पुत्री आशिक अली खां जाति कायमखानी निवासी क्यामसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
6. हाजना बानो पत्नी आशिक अली खां जाति कायमखानी निवासी क्यामसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
7. गुलाम नबी पुत्र अहमद अली खां जाति कायमखानी निवासी क्यामसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
8. अजाज नबी खां पुत्र सलीमुद्दीन खां जाति कायमखानी निवासी धनूरी तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
9. अमीर बानू पुत्री सलीमुद्दीन खां जाति कायमखानी निवासी धनूरी तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
10. अयाज अहमद खां पुत्र सलीमुद्दीन खां जाति कायमखानी निवासी धनूरी तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
11. गुलाम नबी खां पुत्र सलीमुद्दीन खां जाति कायमखानी निवासी धनूरी तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
12. दराब अली खां पुत्र सलीमुद्दीन खां जाति कायमखानी निवासी धनूरी तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
13. फहमीबा बानू पुत्री सलीमुद्दीन खां जाति कायमखानी निवासी धनूरी तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
14. मोहम्मद अयुब खां पुत्र सलीमुद्दीन खां जाति कायमखानी निवासी धनूरी तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
15. अब्दुल अजीज पुत्र मोहम्मद अली खां जाति कायमखानी निवासी धनूरी तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
16. नियाज मोहम्मद पुत्र मोहम्मद अली खां जाति कायमखानी निवासी धनूरी तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
17. निसार अहमद खां पुत्र मोहम्मद अली खां जाति कायमखानी निवासी धनूरी तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
18. मो० हबीब खां पुत्र मोहम्मद अली खां जाति कायमखानी निवासी धनूरी तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।



401
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

19. मोहम्मद इकबाल खान पुत्र मोहम्मद अली खां जाति कायमखानी निवासी धनूरी तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
20. मोहम्मद हफीज पुत्र इलियास खां जाति कायमखानी निवासी क्यामसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
21. सरवर अली खां पुत्र मो० अलीखां जाति कायमखानी निवासी धनूरी तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
22. अकरम खां पुत्र सज्जाद अली जाति कायमखानी निवासी क्यामसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
23. इमरान खां पुत्र सज्जाद अली जाति कायमखानी निवासी क्यामसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
24. ककिया बानो पत्नी सज्जाद अली जाति कायमखानी निवासी क्यामसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
25. इब्राहिम खां पुत्र अफजल खां जाति कायमखानी निवासी क्यामसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
26. राजकीय प्राथमिक विद्यालय क्यामसर जरिये संस्था प्रधान।
27. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा धनूरी जरिये शाखा प्रबन्धक।
28. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा अलसीसर जरिये शाखा प्रबन्धक।
29. बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड शाखा धनूरी जरिये शाखा प्रबन्धक।
30. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मलसीसर जिला झुझुनूं।

— अनावेदकगण

वकील आवेदक — श्री विजयसिंह लालपुरिया

वकील अनावेदक संख्या 1 से 6 — श्री संदीप सिंह राठोड़

वकील अनावेदक संख्या 7 — मोहम्मद रशीद खान

प्रार्थना पत्र बाबत सीमाज्ञान किये जाने पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 111, 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 09.07.2025

संक्षेप में आवेदिक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम धनूरी में भूमि हाल ख.न. 176, 177 कुल किता 2 कुल रकबा 4.51 है० भूमि अवस्थित है। जो आवेदक व अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 की सुयुक्त खातेदारी काश्तकारी की भूमि है जिसको शामलाती रूप से काश्त करते हैं एवं शांति पूर्वक काबिज काश्त है। कब्जे काश्त बाबत कोई विवाद नहीं है। इसी प्रकार ग्राम क्यामसर में भूमि ख०न० 426/178 अनावेदक संख्या 7, ख०न० 114 अनावेदक संख्या 8 लगायत 14, ख०न० 115 अनावेदक संख्या 15 लगायत 21, ख०न० 452/116 अनावेदक संख्या 22 लगायत 24, भूमि ख०न० 447/175 अनावेदक संख्या 17, ख०न० 444/117 अनावेदक संख्या 25 तथा ख०न० 183 अनावेदक संख्या 26 की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। जो आवेदक व अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 के पड़ौसी खातेदार काश्तकार हैं। आवेदक तथ अनावेदकगण 1 लगायत 6 अपनी भूमि पर अपनी फसल को आवारा पशुओं से बचाने तथा उन्नत कृषि करने हेतु तारबन्दी करना चाहते हैं ताकि भविष्य में कोई विवाद नहीं हो। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदक व अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 की उक्त वर्णित भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश फरमाया जावे।



401
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी करवाये जाने के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया। अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 की ओर से इकबाली जवाब पेश कर नियमानुसार सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी करवाये जाने में इन्हे कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या 8

लगायत 29 बाद तामील अनुपस्थित। अनावेदकगण की तामिल विधिवत पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते हैं या उपस्थित नहीं होते हैं तो यह मानकर कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार सिद्धि दिये जाने में उन्हें कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरुद्ध आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अनावेदकगण संख्या 8 लगायत 29 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अनावेदक संख्या 7 की ओर से जवाब पेश नहीं होने पर जवाब बन्द किया गया।

जवाबदेही पूर्ण होने के उपरान्त बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता आवेदिक ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये आवेदक तथा अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 की भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढ़ी करवाये जाने का अनुरोध किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। आवेदिका के प्रार्थना पत्र एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। आवेदिक तथा अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं जो न्यायसंगत है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 नियमानुसार सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी करवाये जाने में सहमत है। शेष के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। तमाम साक्ष्य सबूतों, दस्तावेजों एवं बहस विद्वान अधिवक्ता के प्रकाश में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम धनूरी स्थित भूमि ख0न0 176, 177 कुल किता 2 कुल रकबा 4.51 है० भूमि का प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के आवेदन पर टीम गठित कर नियमानुसार भूमि का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 का मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



407/217/2025

(पंकज शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी

मलसीसर